1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/2017 को पेश हो।

तहसीलदार
रियाबडी

तहसीलदार रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

934
15/12/2017

29/12/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल सोहन राम पुत्र मंगलाराम जाति हरीजन नि० लाम्पोलाई उप० हुआ एवं सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाम्पोलाई ने मौजा लाम्पोलाई के खसरा 938 रकबा 0.02 है० किस्म भूमि गै.मु. नहर पर सम्वत 2074 में सोहन राम पुत्र मंगलाराम जाति हरीजन नि० लाम्पोलाई के विरूद्ध अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में टी०ओ० रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायल के विरूद्ध LRAct 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया गैर सायल उप० हुआ एवं सुना गया गैर सायल ने राजकीय भूमि गै.मु. नहर पर बाडा बनाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

(अतिक्रमी सायल)

ऐसी स्थिति में गैर सायल को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाकर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं आसामी के लगान का पचास गुणा जुर्माना राशि 04/ (चार रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं। पटवारी हल्का आसामी मौके को भौतिक बेदखली एवं जुर्माना राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर आसामी जुर्माना मांगा कायमी हेतु रीडर आर.ए. तहसील रियांबड़ी को भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दि० 29/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, [illegible] बड़ी
(नागौर - राजस्थान)